पत्रांक-6/सी.एम.टी.(चा.अनु.)-03/2013 परि० 1546

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

प्रेषक,

आर० के० महाजन, भा.प्र.से.
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी
बिहार राज्य ।

पटना, दिनांक 22/4/2013

विषय :- व्यवसायिक वाहन चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि राज्य के अधीन जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा 'व्यवसायिक वाहन चालक अनुज्ञप्ति' निर्गत नहीं किया जा रहा है । फलतः राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है तथा सक्षम आवेदकों को व्यवसायिक अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण व्यवसायिक वाहन के लिए चालकों की काफी कमी हो गई है ।

2. यदि कोई आवेदक व्यवसायिक अनुज्ञप्ति के लिए निम्न निर्धारित शर्तो को पूरा करता है तो उसे अविलम्ब अनुज्ञप्ति निर्गत की जाय :-

(i) शैक्षणिक योग्यता आठवीं श्रेणी उतीर्ण हो ।

(ii) एक वर्ष का निजी वाहन (चार पहिया वाहन) का चालक अनुज्ञप्ति धारक हो ।

(iii) आवेदित व्यवसायिक वाहन की एक माह की प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति प्राप्त हो एवं अवधि पूर्ण हो चुकी हो ।

(iv) 'मान्यता प्राप्त' व्यवसायिक मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्राप्त हो ।

3. वर्तमान में बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 9 भारी वाहन ड्राईविंग ट्रेनिंग स्कूलों को अनुज्ञप्ति दी गयी है, जिनकी सूची संलग्न है । अगर कोई दूसरे राज्य में स्थित व्यवसायिक वाहन के स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण पत्र समर्पित करता है तो उसकी समुचित सम्पुष्टि कराकर अनुज्ञप्ति निर्गत की जा सकती है ।

4. अगर आपके कार्यालय द्वारा व्यवसायिक वाहनों के लिए चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करने में अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उसके बारे में अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब अवगत कराया जाए । आपके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में व्यवसायिक वाहनों की कुल कितनी नई अनुज्ञप्तियाँ निर्गत की गई है, उसका प्रतिवेदन भी अविलम्ब भेजा जाए ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 22/4/13

(आर० के० महाजन)

Bablu-Sanjay Sir-385

<u>भारी वाहन प्रशिक्षण स्कूल</u>

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-12 एवं केन्द्रीय मोटर गाड़ी नियमावली, 1989 के नियम-24 में निहित प्रावधानों के तहत बिहार राज्य के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में निजी संस्थाओं द्वारा स्थापित भारी वाहन चालक ड्राईविंग प्रशिक्षण स्कूल की सूची :-

क्रम संख्या	संस्था का नाम एवं संचालक का नाम एवं पता	जिला	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित पत्रांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1	सावित्री मोटर ट्रेनिंग एंड इंजिनियरिंग इंस्टीच्यूट, प्लॉट नं.-06, नरशिंग मार्केट, कंकड़बाग, मेन रोड, पटना	पटना	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना के पत्रांक-309 दिनांक 17.04.2013
2	परफेक्ट मोटर ट्रेनिंग स्कूल, इमली चट्टी, कस्टम कार्यालय के बगल में संचालक-मो0 मोइदीन, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-0 दिनांक 28.06.2011
3	वैभव मोटर ड्राईविंग स्कूल पो-एम. आई.टी, संचालक-संजीव कुमार ब्रहमपुर, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-0 दिनांक 28.06.2011
4	चम्पारण मोटर ड्राईविंग स्कूल बरियापुर, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी संचालक-संजय कुमार, मोतिहारी	मोतिहारी	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-0 दिनांक 28.06.2011
5	भारत मोटर ड्राईविंग स्कूल, एन.एच. -28 बरियारपुर, मोतिहारी संचालक-कुमारी स्वेता, सिरसा पूर्वी चम्पारण	मोतिहारी	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-0 दिनांक 28.06.2011
6	बिहार मोटर ड्राईविंग स्कूल, पासवान चौक, हाजीपुर संचालक-श्री संजीव कुमार, ब्रहमपुर, मुजफ्फरपुर नोट-DTO हाजीपुर के पत्रांक 1910 दिनांक 06.08.2011 द्वारा प्रतिवेदन शून्य दर्शाया गया है।	हाजीपुर	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-0 दिनांक 28 06.2011
7	मे0 समीर मोटर ड्राईविंग ट्रेनिंग इन्स्टीच्युट, पटेल चौक, थाना-नगर, बेगूसराय संचालक-अब्दुल अजीज, E/2/218 रिफाईनरी, बेगूसराय	बेगूसराय	जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक 1657 दिनांक 22 07.2011
8	उमा मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजिनियरिंग स्कूल, बिहारशरीफ, नालंदा संचालक-राम शंकर प्रसाद, बिहारशरीफ, नालंदा	नालंदा	जिला परिवहन पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 919 दिनांक 06.08.2011
9	सिवान मोटर ट्रेनिंग एण्ड इंजिनियरिंग स्कूल संचालक-इर्शाद अली खां, अहमद मार्केट, छपरा, रोड, सिवान	सिवान	संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण छपरा के पत्रांक 560 दिनांक 01.09.2011

22/4/17

Bablu-Sanjay Sir-404